उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
9- (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ में बालाजी इन्क्लेव लेन नं०-7 मुतक्कीपुर, आई०आई०एम० रोड (नियर प्रधान मैरेज हॉल) आर०सी०सी० मार्ग व नाली एवं सीवर की व्यवस्था के संबंध में नगर विकास मंत्री द्वारा अपने पत्र संख्या 1510/नौ-5-2025-35नियम/25, दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से संबंधित सिटी वाटर एक्शन प्लान तथा सड़क व नाली हेतु ऑकलित धनराशि रू0 83.93 लाख का व्ययानुमान है ?	लखनऊ नगर की सीवरेज प्रणाली विहीन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अमृत-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सिटी वाटर एक्शन प्लान (सी.डब्लू.ए.पी.) तैयार कर लिया गया है। जनपद-लखनऊ में बालाजी इन्क्लेव लेन नं0-7 मुतक्कीपुर आई0आई0एम0 रोड (नियर प्रधान मैरेज हॉल) उक्त सिटी वाटर एक्शन प्लान में सम्मिलित है। प्रश्नगत क्षेत्र में नाली व सड़क निर्माण कार्य हेतु रू0 83.93 लाख का आगणन तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से संबंधित कार्य तथा उक्त क्षेत्र में सड़क व नाली के निर्माण से संबंधित कार्यो का कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
(ख) यदि हॉ, तो क्या जनहित में उक्त क्षेत्र के निवासियों की वर्णित कठिनाइयों को देखते हुए प्राथमिकता पर मार्ग व नाली एवं सीवर आदि की व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत कर समस्या का निराकरण करायेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

ए.के. शर्मा
मंत्री
नगर विकास विभाग।